

अध्याय-7
शिकायत निवारण, निगरानी एवं आंतरिक
नियंत्रण

अध्याय - 7

शिकायत निवारण, निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

किसी भी योजना की सफलता के लिए प्रभावी निगरानी आवश्यक है, क्योंकि यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि संचालन प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार योजना का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के साथ-साथ नियमित आधार पर क्षेत्र दौरे एवं नमूना जाँच भी की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों का उचित रख-रखाव भी विशेष रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

हालाँकि, योजना के प्रावधानों के विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत (ग्रा पं) स्तर पर निगरानी प्रणाली अनुचित एवं अपर्याप्त थी। योजना की लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियाँ पाई गईं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

7.1 राज्य एवं जिला गुणवत्ता निरीक्षक

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तारों 14.8 (vi) एवं 14.10.4 के संदर्भ में राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (रा गु नि) कम से कम पाँच प्रतिशत कार्य, जो प्रगति पर हैं तथा पाँच प्रतिशत कार्य जो एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो चुके हैं, का निरीक्षण करेगा ताकि प्रक्रिया गुणवत्ता पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र के प्रस्तर 7.12.1 के अनुसार, एक जिला गुणवत्ता निगरानी (जि गु नि) प्रकोष्ठ होगा जिसमें 10 से 15 तकनीकी कर्मचारियों का पैल होगा। ये कर्मचारी योजना के अंतर्गत निष्पादित कम से कम ₹ तीन लाख एवं उससे अधिक के व्यय के कच्चे कार्यों तथा ₹ पाँच लाख एवं उससे अधिक व्यय के पक्के कार्यों के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन करेंगे।

राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों एवं सूचना की जाँच से ज्ञात हुआ कि 2019-24 की अवधि के दौरान रा गु नि की नियुक्ति नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों की अवधि के लिए कुल 13 जिलों में से मात्र तीन जिलों¹ में जि गु नि नियुक्त किए गए थे। चयनित जिलों में रा गु नि/ जि गु नि की नियुक्ति न किए जाने के कारण कार्य की प्रगति अथवा पूर्ण होने के दौरान कार्य की गुणवत्ता अथवा प्रामाणिकता हेतु किसी कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया था।

¹ देहरादून, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी जनपद (02/2020 से 02/2023)।

रा गु नि द्वारा निरीक्षण की कमी एवं अपर्याप्त जि गु नि निगरानी के कारण परियोजना निष्पादन के दौरान तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता मापदंडों के पालन को सुनिश्चित करने में विफलता हुई। इससे मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अधोमानक होने का जोखिम बढ़ गया जैसा कि **अध्याय-5** के **प्रस्तर-5.3.3, 5.3.4, 5.4.2.1 एवं 5.4.2.2** में चर्चा की गई है।

विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान प्रस्तुत अपने उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

7.2 शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व

पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से यह अपेक्षा थी कि वह मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी शिकायत के निपटान के लिए जिला एवं विकास खण्ड स्तरों पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करे एवं ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करे।

शिकायत निवारण तंत्र के अस्तित्व से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

7.2.1 लोकपाल की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 13.14 में प्रावधान है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करेगी। आवश्यकता के आधार पर, कार्यभार पर निगरानी के लिए प्रारंभ में दो जिलों के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जा सकता है। लोकपाल के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- मुख्य सचिव एवं मनरेगा के प्रभारी सचिव को मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्यादेशों की सूची प्रेषित करना।
- मनरेगा के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को उजागर करना।
- लोकपाल द्वारा निस्तारित किए गए प्रकरणों की सारांश रिपोर्ट रा रो ग प को प्रेषित करना तथा यह राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाने वाली रा रो ग प द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि (2019-24) के दौरान टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा जिलों की नमूना जाँच में लोकपाल की नियुक्ति के मध्य अंतराल पाया गया। टिहरी गढ़वाल में लोकपाल का पद 01 अप्रैल 2019 से 10 फरवरी 2020 के मध्य रिक्त रहा एवं लोकपाल के कार्यकाल के दौरान प्राप्त 32 शिकायतों में से मात्र 13 का निपटान किया गया। हालाँकि, उप जिला परियोजना समन्वयक (उप जि प स) ने इन शिकायतों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये।

अल्मोड़ा जिले में, लोकपाल की रिक्तियों के लिए 02 अप्रैल 2020 से 24 फरवरी 2021 के मध्य एवं 25 फरवरी 2023 से 21 मई 2023 के मध्य के दो अंतराल थे। कुछ निश्चित अवधि (01 अप्रैल 2019 से 01 अप्रैल 2020 एवं 25 फरवरी 2021 से 24 फरवरी 2023) के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों के अभिलेख भी नमूना जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन मुद्दों के बावजूद, लोकपाल ने जून 2023 से मार्च 2024 तक प्राप्त सभी 19 शिकायतों का निपटान किया।

शिकायतों से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता ने शिकायत निपटान की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अनुशंसित कार्यवाही के अनुपालन को सीमित कर दिया।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

7.2.2 शिकायत पंजिका का रख-रखाव न करना

मनरेगा की धारा 23 (6) के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारी (का अ) को शिकायत पंजिका का रख-रखाव करना एवं सात दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना अपेक्षित है। अन्य प्राधिकरणों द्वारा समाधान की आवश्यकता वाली शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए तदनुसार अग्रेषित किया जाना चाहिए। परिचालन दिशानिर्देश, 2013 (प्रस्तर 10.3.9) में निगरानी प्रयोजनों के लिए ग्रा पं, विकास खण्ड एवं जिला स्तरों पर शिकायत पंजिका के रख-रखाव हेतु अधिदेश है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि टिहरी गढ़वाल जिले में, उप जि का स ने 2019-24 के दौरान शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया था तथा जिले के सभी चयनित विकास खण्डों में भी शिकायत पंजिका उपलब्ध नहीं थी। अल्मोड़ा जिले में, 2022-24 की अवधि के लिए जिला स्तर पर एक शिकायत पंजिका का रख-रखाव किया गया था, जिसमें 65 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इनमें से 55 सामान्य प्रकृति की थी, जबकि 10 विलंबित मजदूरी भुगतान से संबंधित थी, जिनमें से सभी को शीघ्रता से निस्तारित किया गया था। हालाँकि, किसी भी चयनित विकास खण्ड में किसी भी शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था।

उप जि का स कार्यालयों एवं चयनित विकास खण्डों में शिकायत पंजिका का रख-रखाव न होने के कारण लेखापरीक्षा प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं उनके निपटान की पुष्टि करने में असमर्थ रहा, जिससे जवाबदेही एवं शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता से समझौता हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया कि शिकायत पंजिका तैयार करने एवं रख-रखाव के लिए जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.3 सतर्कता तंत्र का अनुपालन न करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तरों 13.6.2, 13.6.3 तथा 13.6.4 में मनरेगा कार्यान्वयन के प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता तंत्र स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु स अ) की अध्यक्षता में एक **राज्य-स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ**।
- जिला प्राधिकरण के अधीन एक **जिला स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ**।
- ग्राम सभा के अनुमोदन से गठित स्थानीय स्तर पर **सतर्कता एवं निगरानी समितियां (स एवं नि स)**।

इन निकायों को शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं की पहचान करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरा करने, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने एवं कार्यस्थलों पर श्रमिकों के साथ संपर्क करने का कार्य सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य एवं चयनित जिला स्तरों पर, 2019-24 के दौरान कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। ग्राम स्तर पर, टिहरी गढ़वाल जिले की चयनित ग्रा पं में स एवं नि स का गठन किया गया था, हालाँकि, अल्मोड़ा जिले की चयनित ग्रा पं में इसका गठन नहीं किया गया था।

राज्य, चयनित जिला एवं ग्राम स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप निगरानी में महत्वपूर्ण चूक हुई। कार्यस्थलों की निगरानी करने एवं अनियमितताओं को दूर करने में विफलता ने 2019-24 की अवधि के दौरान मनरेगा कार्यों के निष्पादन में हुई विभिन्न कमियों में योगदान दिया (जैसा कि **अध्याय-5 के प्रस्तरों-5.3.1 से 5.3.4** में चर्चा की गई है)। यह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शासन एवं जवाबदेही तंत्र में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

इंगित किए जाने पर परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून, नमूना जाँच किए गए जिलों के उप जि प स एवं चयनित विकास खण्डों के का अ द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया।

7.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक नवीन विशेषता यह है कि इसने सतत जन सतर्कता के साधन के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।

उत्तराखण्ड सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता एजेंसी (उ सा ले ज पा ए), देहरादून राज्य में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के सम्पादन के लिए जिम्मेदार थी।

7.4.1 अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तरों 13.1.1 एवं 13.2.2 में यह प्रावधान है कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (सा ले इ) ग्राम सभा में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों की उपयुक्त संख्या की पहचान करेगी। सामाजिक लेखापरीक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं:

- एक सतत एवं प्रगतिशील प्रक्रिया जिसमें लोक सतर्कता एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन सम्मिलित हो; एवं
- एक प्रक्रिया जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा सम्मिलित करते हुए प्रत्येक ग्रा पं में छः महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सा ले इ ने अपेक्षित छमाही के सापेक्ष एक वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जिसमें परिचालन दिशानिर्देशों से विचलन था।

राज्य में 2019-24 के दौरान संपादित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे तालिका-7.1 में दी गई है:

तालिका-7.1: राज्य में संपादित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	राज्य में कुल ग्राम पंचायतें	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी प्रतिशतता
2019-20	7,831	7,791	2,333	5,498	70
2020-21	7,823	936	595	7,228	92

वर्ष	राज्य में कुल ग्राम पंचायतें	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी प्रतिशतता
2021-22	7,823	7,791	1,239	6,584	84
2022-23	7,804	7,795	1,475	6,329	81
2023-24	7,799	7,795	1,956	5,843	75

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में 70 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के मध्य गा पं की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

चयनित जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन में कमी 79 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य थी (परिशिष्ट-7.1)। चयनित विकास खण्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन में कमी 76 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य थी (परिशिष्ट-7.1 क)। उक्त के अतिरिक्त, चयनित गा पं में यह 80 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य थी (परिशिष्ट-7.1 ख)।

नमूना जाँच किए गए जिलों की चयनित 16 गा पं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2019-24 के दौरान चार गा पं में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जबकि 12 गा पं में यह आंशिक रूप से संपादित की गई थी। चयनित गा पं में निम्नलिखित प्रकार की आपत्तियाँ पाई गईं:

- रोजगार दिवस का आयोजन न करना,
- कार्य प्राप्त करने में असमर्थता, कार्य स्थल सुविधाओं का प्रावधान न करना एवं शिकायत निवारण,
- कार्य अभिलेखों जैसे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, संपत्ति पंजिका, मस्टर रोल, एमबी एवं वाउचर्स प्रस्तुत न किया जाना,
- कार्य अभिलेखों का रख-रखाव न करना,
- जाँब कार्ड से संबंधित मुद्दे,
- कार्यों की मांग के लिए आवेदनों का संग्रहण न करना,

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए निष्कर्षों के साथ संरेखित हैं। यह इंगित करता है कि विभाग इच्छित लाभार्थियों के लाभ के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को उपयोग करने के अवसर से चूक गया। एक विस्तारित अवधि में सतत अनियमितताएं योजना में आश्रित आबादी के विश्वास को क्षीण कर सकती हैं।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 100 प्रतिशत ग्रा पं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की योजना तैयार की है। हालाँकि, इसकी प्राप्ति पर्याप्त बजट की उपलब्धता पर निर्भर थी। दुर्भाग्यवश, उ सा ले ज पा ए को समय पर आवश्यक बजट प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार तथ्य यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्य के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अनिवार्य समीक्षा का उद्देश्य अधूरा रह गया।

7.4.2 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण में भारी लंबितता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.4.2 में प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

यह पाया गया कि सा ले इ ने पूरे राज्य के लिए 2019-24 के दौरान 88,915 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निर्गत की थी। तथापि, सुधारात्मक उपाय मात्र 52,173 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में ही किए गए थे। राज्य स्तर पर की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा एवं टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका-7.2 में दी गई है:

तालिका-7.2: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबितता

वर्ष	निर्गत की गई सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियाँ	सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान	अनिस्तारित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अनिस्तारित टिप्पणियों का प्रतिशत
2019-20	27,391	26,738	653	2
2020-21	10,283	9,079	1,204	12
2021-22	12,631	8,309	4,322	34
2022-23	16,428	5,569	10,859	66
2023-24	22,182	2,478	19,704	89
कुल	88,915	52,173	36,742	41

स्रोत: विभागीय आँकड़े एवं नरेगासाँफ्ट आँकड़ें।

उपर्युक्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि दो प्रतिशत से 89 प्रतिशत के मध्य की सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सुधारात्मक उपायों के अभाव में लंबित थीं।

इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रा पं में, 2019-24 के दौरान निर्गत की गयी 152 टिप्पणियों के सापेक्ष 118 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सुधारात्मक उपाय किए गए। जबकि शेष टिप्पणियाँ एक से पाँच वर्ष तक लंबित रहीं (परिशिष्ट-7.2)।

विभाग ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि लंबित टिप्पणियों के निपटान के लिए विभिन्न स्तरों से जनपदों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

7.4.3 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित राशि की कम वसूली

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.4.2 में प्रावधान है कि जि का स यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत वसूल की गई राशि की नियमित निगरानी के लिए एम आई एस में एक अलग प्रतिवेदन “प्रतिवेदन आर.9.2.6” वित्तीय दुर्विनियोजन वसूली रिपोर्ट सम्मिलित की गयी है ताकि राज्यों एवं केंद्रीय शासित प्रदेशों को निर्णित प्रकरणों और उनकी वसूली की प्रगति की निगरानी को सरल बनाया जा सके। सामाजिक लेखापरीक्षा में जारी किए गए प्रकरणों एवं उनके विरुद्ध की गई वसूली की स्थिति नीचे तालिका-7.3 में दी गई है:

तालिका-7.3: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा में जारी किए गए प्रकरणों पर राशि की वसूली

वर्ष	सूचित किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	सा ले इ द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय एम आई एस दुर्विनियोजन राशि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें वसूली की गयी है	वसूली गई राशि	लंबित वसूली राशि (प्रतिशत में)
(लाख रुपये में)					
2019-20	588	71.32	61	5.97	65.35 (92)
2020-21	549	155.25	100	10.84	144.41 (93)
2021-22	204	18.27	24	0.70	17.57 (96)
2022-23	443	89.44	40	2.70	86.74 (97)
2023-24	411	55.95	8	15.09	40.86 (73)
कुल	2,195	390.23	233	35.30	354.93 (91)

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

यह पाया गया कि सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2019-24 के दौरान सा ले इ द्वारा ₹ 390.23 लाख के वित्तीय दुर्विनियोजन से संबंधित 2195 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निर्गत की गयी। हालाँकि, मात्र 233 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसकी राशि ₹ 35.30 लाख थी। परिणामस्वरूप, राज्य में ₹ 354.93 लाख की एक बड़ी राशि वसूली हेतु लंबित है।

चयनित जिलों में सूचित वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए वसूली की दक्षता अपर्याप्त पाई गई। टिहरी गढ़वाल जिले में, भिलांगना विकास खण्ड में ₹ 15.07 लाख के सूचित दुर्विनियोजन की तुलना में मात्र ₹ 0.31 लाख की वसूली की गई और वसूल की गई

राशि के जमा कराने से संबंधित भी कोई विवरण नहीं दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त, नरेन्द्र नगर विकास खण्ड में ₹ 0.69 लाख के सूचित वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए कोई वसूली नहीं की गई। इसी प्रकार, अल्मोड़ा जनपद में हवलबाग विकास खण्ड में ₹ 0.04 लाख एवं ताकुला विकास खण्ड में ₹ 0.55 लाख के सूचित दुर्विनियोजन के लिए कोई वसूली नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर उ सा ले ज पा ए ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं वसूली जाने वाली वास्तविक राशि के संबंध में अवगत कराया की धनराशि ₹ 354.93 लाख के स्थान पर ₹ 245.01 लाख है। उक्त के अतिरिक्त, उ सा ले ज पा ए ने अवगत कराया कि नरेगासॉफ्ट में दर्ज वित्तीय दुर्विनियोजन के निर्णीत प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों में अंतर है। यदपि, प्रकरण को निदेशक, मनरेगा, ग्रामीण विकास, भारत सरकार को (अप्रैल 2024) समाधान हेतु प्रेषित किया गया है।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि लंबित टिप्पणियों के निपटान के लिए विभिन्न स्तरों से जनपदों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

7.4.4 सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 13.2.2 के अनुसार सा ले इ उपयुक्त संख्या में राज्य संसाधन व्यक्तियों (रा सं व्य), जिला संसाधन व्यक्तियों (जि सं व्य), विकास खण्ड संसाधन व्यक्तियों (वि ख सं व्य) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (ग्रा सं व्य) की पहचान करेगा ताकि ग्राम सभा को सामाजिक लेखापरीक्षा करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

सा ले इ में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता तालिका-7.4 में दी गई है:

तालिका-7.4: विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	(+) आधिक्य / (-) कमी (प्रतिशत में)
निदेशक	01	01	-
वित्त नियंत्रक	01	01	-
राज्य समन्वयक	01	01	-
राज्य संसाधन व्यक्ति	02	02	-
लेखाकार	01	01	-
डाटा एंट्री ऑपरेटर	05	05	-
जिला संसाधन व्यक्ति	13	9	(-) 31
विकास खण्ड संसाधन व्यक्ति	95	63	(-) 34
ग्राम संसाधन व्यक्ति	5 प्रति ग्रा पं	231	सभी निधियों की उपलब्धता के अनुसार पैनलबद्ध आधार/कार्यदिवस के आधार पर हैं

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	(+) आधिक्य / (-) कमी (प्रतिशत में)
बहुद्देशीय कार्मिक	02	02	-
सफाई कर्मी	01	01	-
सुरक्षा गार्ड	01	01	-

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

जिला, विकास खण्ड एवं ग्रा पं स्तर पर महत्वपूर्ण पदों की कमी थी, जो वास्तविक वाह्य लेखापरीक्षा निष्पादन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कार्मिक कमी के परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया जैसा कि इस अध्याय के प्रस्तर-7.4.1 में चर्चा की गई है।

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा अपने उत्तर में अवगत कराया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण, पर्याप्त मानव संसाधन तैनात नहीं किए जा सके।

7.5 अनिवार्य अभिलेख एवं उनका रख-रखाव

भारत सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के कार्मिकों के कार्यकरण को सरल बनाने एवं सूचना की गुणवत्ता, विशेषकर कामगारों की हकदारी से संबंधित सूचना की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य की पुनरावृत्ति को कम करने की दृष्टि से सात पंजिका निर्धारित किए हैं। (पंजिका-I: जॉब कार्ड के लिए पंजिका (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने के लिए) एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट, पंजिका-II ग्राम सभा पंजिका, पंजिका-III कार्य की मांग, कार्य का आवंटन एवं मजदूरी की भुगतान पंजिका, पंजिका-IV: कार्य पंजिका, पंजिका-V: स्थायी संपत्ति पंजिका, पंजिका-VI शिकायत पंजिका एवं पंजिका-VII सामग्री पंजिका)। पंजिका-I, IV, VI एवं VII को एम आई एस से ही प्रिंट एवं पेस्ट किया जाना था जबकि पंजिका II, III एवं V को मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाना था।

जाँच की गई ग्रा पं में आवश्यक पंजिका बनाए रखने की स्थिति नीचे तालिका-7.5 में दी गई है:

तालिका-7.5: जाँच की गई ग्राम पंचायतों में आवश्यक पंजिका बनाए रखने की स्थिति

क्र. सं.	पंजिका का नाम	पंजिका का उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	जॉब कार्ड के लिए पंजिका (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी) एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट	इस पंजिका में आवेदक का नाम, आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं जारी किए गए जॉब कार्ड का विवरण दर्ज होगा। इसमें जॉब कार्ड जारी न किए जाने के कारणों/औचित्यों, यदि कोई हों, को भी दर्ज करने का प्रावधान है।	यह पंजिका सभी नमूना जाँच ग्रा पं द्वारा नरेगासाफ्ट में रखा गया था। तथापि, नरेगासाफ्ट में जॉब कार्ड (जॉ का) जारी करने के लिए आवेदन की तिथि उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन, लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर पाया कि क्या जा का के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी पंजीकरण

क्र. सं.	पंजिका का नाम	पंजिका का उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			करने के लिए सक्षम थे या यदि मनरेगा के लिए आवश्यक 15 दिनों के भीतर पात्र परिवारों को जा का जारी किया गया था।
2.	ग्राम सभा पंजिका	इस पंजिका में ग्राम सभा की बैठक एवं परियोजनाओं का चयन दर्ज होगा।	सभी जांची गईं ग्रा पं द्वारा ग्राम सभा पंजिका का रख-रखाव किया गया था।
3.	कार्य की मांग, कार्य का आवंटन एवं मजदूरी भुगतान पंजिका।	इस पंजिका में कार्य के लिए आवेदन, कार्य का आवंटन, कार्य का प्रदर्शन एवं श्रमिक को भुगतान की जाने वाली मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते के विवरण की जानकारी होगी। यह पंजिका ग्रा पं स्तर पर पंचायत सचिव द्वारा तथा विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रखा जाएगा।	यह पंजिका किसी भी जांची गईं ग्रा पं द्वारा नहीं रखी गयी थी।
4.	कार्य पंजिका	इस पंजिका में प्रत्येक कार्य का विवरण होता है जैसे क्रमांक एवं अनुमोदित कार्यों की सूची में प्राथमिकता, का क्रि इ का नाम एवं पता, जिस तिथि को कार्य शुरू किया गया था, इसकी लागत, स्थान, कार्य पूर्ण होने की तिथि, किया गया व्यय, जारी पूर्णता प्रमाणपत्र दर्ज किया जाएगा।	यह पंजिका नरेगासॉफ्ट में सभी नमूना जाँच ग्राम पंचायतों द्वारा रखी गयी थी।
5	स्थायी सम्पत्ति पंजिका	इस पंजिका में परिसंपत्ति, इसकी लागत, स्थान, वर्तमान स्थिति, व्युत्पन्न लाभ एवं कार्यों का विवरण शामिल है।	यह पंजिका पाँच चयनित ग्रा पं: अखोड़ी, बांचुरी, एसलना, मटेना एवं थानुल द्वारा नहीं बनायी गयी थी।
6	शिकायत पंजिका	इस पंजिका में शिकायत प्राप्त होने की तारीख, शिकायतकर्ता का ब्यौरा, शिकायत पर की गई कार्रवाई, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पर शिकायतकर्ता का जवाब एवं अंतिम निपटान की तिथि दर्ज की जाएगी।	यह पंजिका सभी चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित थी। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायतों में 2019-24 के दौरान कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
7	सामग्री पंजिका।	इस पंजिका में क्रय की गई सामग्रियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।	यह पंजिका नरेगासॉफ्ट में सभी नमूना जाँच ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित थी।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि अपेक्षित पंजिका बनाए रखने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में राज्य एवं जिला गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं, सतर्कता प्रकोष्ठों एवं लोकपाल सहित आवश्यक निगरानी प्रणालियों के अभाव को उजागर किया गया है। इसके

अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियाँ, अनिस्तारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, एवं वित्तीय दुर्विनियोजन की अपर्याप्त वसूली निरीक्षण में चिंताजनक प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित करती है। ये सतत अनियमितताएं योजना की अखंडता एवं सफलता को जोखिम में डालती है, इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं एवं योजना में आश्रित आबादी के विश्वास को क्षीण करती है।

7.7 अनुशंसाएँ

- 1. निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी जनपदों में राज्य रा गु नि एवं जि गु नि प्रकोष्ठों की नियुक्ति एवं संचालन करना।*
- 2. सभी ग्रा पं में अधिदेशानुसार कम से कम द्विवार्षिक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा संपादित करना एवं दिशानिर्देशों से विचलन का समाधान करना। लंबित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं वसूलियों का निपटान शीघ्रता से किया जाना चाहिए एवं वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।*